इन्द्रा / शंकरलाल 2024/429(09)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
17/6/25	पत्रावली पेश हुई। P.O. के दौरे / कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्य नही की जा सकी। पत्रावली दिनांक 01/7/25 को पेश हो।	
1/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय द्वारा कन्डोलेन्स / कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नही की जा सकी। पत्रावली दिनांक 8/7/25 को पेश हो।	
8/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय द्वारा कन्डोलेन्स / कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नही की जा सकी। पत्रावली दिनांक 12/8/25 को पेश हो।	
12/8/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय द्वारा कन्डोलेन्स / कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नही की जा सकी। पत्रावली दिनांक 14-8-25 को पेश हो।	
	पत्रावली पेश हुई। P.O. के दौरे / कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्य नही की जा सकी। पत्रावली दिनांक 19-8-25 को पेश हो।	
19/8/25	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित प्रार्थना पत्र TI पर बहस एक पक्षीय सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 11/9/25 को पेश हो	
11/9/25	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थिया की पूर्व में बहस TI पर सुनी जा चुकी है। प्रार्थिया अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली — लगातार —	

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन पश्चात हम पाते हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थिया के पूर्वजों एवं अन्य के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। एवं वर्णित वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी प्रतिवादी संख्या 5 व 6 को बेचान कर दिया गया है जो कि वर्तमान जमाबन्दी में राजस्व रिकॉर्ड अमल दराज है। प्रार्थिया स्वयं अपने हक एवं हिस्से खातेदारी अनुसार घोषित करवाने के लिए न्यायालय धारा में घोषणा, बन्टवारा दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश होकर विचाराधीन है।
		वकील प्रार्थिया ने वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में अप्रार्थियों के जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से तादौरान वाद के पाबंद किए जाने का निवेदन किया।
		पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस पर मनन पश्चात बिन्दुवार विवेचना निम्नानुसार है:-
		(1) प्रथम दृष्टया प्रकरण :- पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी के अनुसार वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थिया का रिकॉर्डेड खातेदार दर्ज नहीं है। अतः वादग्रस्त आराजी के मौके पर प्रार्थी
		— लगातार —

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		का काबिज काश्त होना स्पष्ट नहीं होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थिया के हक में सिद्ध नहीं होता है।	
		(2) सुविधा का संतुलन :- वादग्रस्त आराजी के प्रार्थिया के पूर्वज सहखातेदार नहीं है एवं इनका हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त होना स्पष्ट नहीं होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थिया के हक में सिद्ध नहीं होता एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थिया के हक में सिद्ध नहीं होता है।	
		(3) अपूर्णनीय क्षति :- प्रार्थिया के हक में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो प्रार्थिया को अपने हक हकूकों से वंचित होना नहीं पड़ेगा तथा अपूर्णनीय क्षति नहीं होगी।	
		उपरोक्त विवेचनानुसार के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य पाते है।	
		अतः आदेश है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को अस्वीकार किया जाकर	
		— लगातार —	

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		पाके ग्राम हिम्मतपुरा पटवार हल्का-रामसर -पालावाला भू.अ. नि. जोन-कालवाड त. बस्सी, जिला जयपुर के आराजी खसरा नम्बर 62 एवं 34 सम्बन्ध में प्रार्थिया द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। यह निर्णय आज दिनांक 11/9/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला-जयपुर